बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ वन प्रमंडल, पूर्णियाँ।
नियर गिरजा चौक, मुख्य डाकघर के सामने पो0+जिला–पूर्णियाँ - 854301 Ph. No.- 06454 242744

पत्र संख्या :– 1505

प्रेषक :– **राजीव रंजन, भा.व.से.,**
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पूर्णियाँ वन प्रमंडल, पूर्णियाँ।

सेवा में,

सरकार के संयुक्त सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार,
पटना।

पूर्णियाँ, दिनांक :– 26/05/25

विषय :– पूर्णियाँ वन प्रमंडल, पूर्णियाँ अन्तर्गत विभिन्न प्रक्षेत्रों में निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निविदा दस्तावेज को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।

U.S. F.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सादर सूचित करना है कि पूर्णियाँ वन प्रमंडल, पूर्णियाँ अन्तर्गत विभिन्न प्रक्षेत्रों में निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निविदा दस्तावेज को विभागीय वेबसाईट करने हेतु हार्ड/साफ्ट कॉपी में इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है। निविदा दस्तावेज को हिन्दी दैनिक में प्रकाशित करने हेतु निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को इस कार्यालय के पत्रांक–1503 दिनांक– 26/05/25 द्वारा भेजी जा चुकी है।

अनुरोध है कि पूर्णियाँ वन प्रमंडल, पूर्णियाँ अन्तर्गत विभिन्न प्रक्षेत्रों में निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निविदा दस्तावेज को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की किया जाय।

अनु0–यथोक्त।

3.6.25

S.O-4

I.T. Manager

विश्वासभाजन,

26/5/25

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पूर्णियाँ वन प्रमंडल, पूर्णियाँ

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, विभाग।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ वन प्रमंडल, पूर्णियाँ

अल्पकालीन निविदा सूचना

सं0–01/2025–26

1. विभाग का नाम :– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, विभाग।
2. **विज्ञापनदाता का नाम** :– वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ वन प्रनंडल, पूर्णियाँ।
3. **निविदा प्रपत्र बिक्री की अन्तिम तिथि** :– 03.06.2025 का 4:00 बजे अपराह्न तक।
4. **निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि** :– 04.06.2025 का 11:30 बजे पूर्वाहन तक।
5. **तकनीकि निविदा खोलने की तिथि एवं समय** :– 04.06.2025 का 12:00 बजे मध्याह्न तक।
6. **वितीय निविदा खोलने की तिथि एवं समय** :– 04.06.2025 का 12:00 बजे मध्याह्न तक।
7. **अग्रधन राशि** :– वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पदनाम से राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट।

क्र0 सं0	निविदा का विवरण	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	निविदा की अवधि
1	2	3	4	5
1	पूर्णियाँ वन प्रमंडल अंतर्गत विभिन्न प्रक्षेत्रों में निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निविदा	₹ 50,000/- (पचास हजार रूपये)	₹ 1000/- प्रति।	31–03–2026 तक

निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं निविदा प्रपत्र वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ से कार्यवधि में कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है एवं वेबसाईट www.forest.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

26/5/25

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पूर्णियाँ वन प्रमंडल, पूर्णियाँ

भ्रष्टाचारी के दबाव में मत रहें, निगरानी विभाग से मिलकर कहें।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार।
कार्यालयः– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पूर्णियाँ वन प्रमण्डल, पूर्णियाँ।
नियर गिरजा चौक, मुख्य डाकघर के सामने पो0+जिला–पूर्णियाँ –854301 06454–242744

निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निर्धारित शर्तें
अल्पकालीन निविदा सूचना सं० 01/2025–26

1. निबंधित आपूर्तिकर्त्ताओं/निबंधित फर्म/प्रतिष्ठानों से निर्धारित विशिष्टताओं के सामग्रियों की आपूर्ति हेतु (विस्तृत विवरणी निविदा प्रपत्र में अंकित है) सीलबंद तकनीकी एवं वित्तीय निविदा 04.06.2025 को 11.30 बजे पूर्वाह्न तक वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पूर्णियाँ वन प्रमण्डल, पूर्णियाँ के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है।
2. निविदा शर्त एवं विहित प्रपत्र वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पूर्णियाँ वन प्रमण्डल, पूर्णियाँ के कार्यालय से दिनांक 03.06.2025 को 04.00 बजे अपराह्न तक कार्य अवधि में रूपये 1,000/– (एक हजार) प्रति की दर से प्राप्त किये जा सकते हैं। प्रपत्र का मूल्य अप्रत्यर्पणीय होगा। निविदाकर्त्ता 'तकनीकी निविदा' तथा 'वित्तीय निविदा' दो अलग–अलग लिफाफो में डालकर एवं सीलबंद कर दोनों लिफाफों को एक अलग लिफाफे में डालकर सीलबंद करेंगे। तकनीकी निविदा के लिफाफे पर "तकनीकी निविदा" तथा उस पर अपना नाम–पता एवं निविदा का विज्ञापन संख्या–01/2025–26 अंकित करेंगे। उसी प्रकार 'वित्तीय निविदा' के लिफाफे पर "वित्तीय निविदा" लिखकर अपना नाम–पता एवं निविदा का विज्ञापन संख्या–01/2025–26 अंकित करेंगे। मुख्य लिफाफा जिसके अन्दर तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा के दोनों सील बंद लिफाफे रहेंगे पर "सामग्री आपूर्ति के लिए निविदा" एवं निविदा का विज्ञापन संख्या–01/2025–26 अंकित कर अपना नाम–पता अंकित करेंगे।
3. प्राप्त निविदायें दिनांक 04.06.2025 को 12.00 बजे मध्याह्न में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पूर्णिया वन प्रमण्डल, पूर्णिया के कार्यालय कक्ष मे सभी निविदाओ को निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी। यदि कोई निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय उपस्थित नहीं होते हैं तब भी निविदा मान्य समझा जायेगा।
4. निविदा कालावधि 31 मार्च 2026 तक के लिये होगा।
5. निविदाकर्त्ता अपनी निविदा के साथ अग्रधन के रूप में रू0 50,000/–(पचास हजार) का डिमांड ड्राफ्ट जो (Divisional Forest Officer, Purnea Forest Division, Purnea)/ वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पूर्णिया वन प्रमण्डल, पूर्णिया के पदनाम से पूर्णिया स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में भुगतेय हो, संलग्न करना होगा। त्रुटिपूर्ण अथवा बिना अग्रधन के प्राप्त होने वाले निविदा को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
6. अर्पित निविदा में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के **सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर अनिवार्य है।** तकनीकी निविदा के साथ निविदा सूचना एवं निविदा शर्तें हस्ताक्षरित कर संलग्न करनी होगी।
7. अर्पित किये गये सामग्री पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर सभी प्रकार के देय कर यथा आयकर, जी.एस.टी. इत्यादि का भुगतान निविदाकर्त्ता द्वारा अर्पित दर में सम्मिलित होगा।

8. निविदाकर्त्ता द्वारा अर्पित दर में बिहार SOR में अंकित निर्देश **(मिट्टी में Shrinkage इत्यादि)** तथा सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देशों यथा **रॉयल्टी, मालिकाना फीस** एवं अन्य निर्देशों के अनुपालन में लागू अतिरिक्त भार सम्मिलित होगा।
9. निविदाकर्त्ता द्वारा सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
10. निविदाकर्त्ता से वनो के क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार सामग्रियों की मॉग किये जाने पर पूर्णिया वन प्रनण्डल अन्तर्गत निर्धारित स्थल एवं मात्रा में उच्च गुणवत्ता की सामग्री आपूर्ति करनी होगी।
11. निविदादाताओं के वित्तीय निविदा का मूल्यांकन सभी समग्रियों के आपूर्ति हेतु अर्पित किये गये अलग–अलग दरों में से जो न्यूनतम होगा के आधार पर तय किया जाएगा। सामग्रियों के लिए अर्पित दरों में पूर्णिया वन प्रमंडल अंतर्गत विभिन्न प्रक्षेत्रों के क्षेत्र तक परिवहन लागत एवं कंडिका 7 एवं 8 में अंकित सभी कर तथा अन्य फीस सम्मिलित होना चाहिए।
12. सक्षम पदाधिकारी के निर्देशन में हीं सामग्रियों की आपूर्ति ली जाएगी एवं आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति के पश्चात भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।
13. निविदादाता को आयकर विभाग से निबंधित होना चाहिए। निबंधन प्रमाण पत्र का स्व–अभिप्रमाणित एवं विगत तीन वर्षो यथा (Assesment Year 2022–23, 2023–24 एवं 2024–2025) का वार्षिक रिटर्न की छाया प्रति संलग्न करना होगा।
14. निविदादाता जी०एस०टी० के अन्तर्गत निबंधित होना चाहिए। निबंधन प्रमाण पत्र एवं विगत दो तिमाही (छह माह) की अद्यतन रिटर्न की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा।
15. निविदादाता का वार्षिक टर्न–ओवर कम से कम रू. 10,00,000/– (दस लाख रूपये) होना चाहिए। निविदादाता को विगत दो वर्षों यथा **2023–24 एवं 2024–25** के वार्षिक टर्न–ओवर का सत्यापित अभिलेख तकनीकी निविदा के प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
16. निविदादाता अपने निविदा के साथ विगत दो साल में सरकारी विभाग में किये गये सामग्री आपूर्ति का प्रमाण–पत्र/(work order) या कार्य का अनुभव के संबंध में दस्तावेज संलग्न करेंगे।
17. असफल निविदाकर्त्ता की अग्रधन राशि निविदा के अन्तिम निर्णय के दो सप्ताह के बाद लौटा दी जायेगी।
18. निविदाकार्त्ता अपनी निविदा में सभी सामग्रियों के लिए अलग–अलग एवं साफ–साफ अक्षरों में दर अंकित करेंगे जो अंक एवं शब्द दोनों में होनी चाहिए।
19. प्राप्त/स्वीकृत निविदा दर से कम दर पर बाजार में उसी गुणवत्ता की सामग्री सुलभ होने पर निविदाकार्त्ता को बाजार दर पर सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।
20. यदि आपूर्तिकर्त्ता निविदा शर्त के किसी भी कंडिका के उल्लंघन अथवा सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समय एवं मात्रा में नहीं करते है, तो आवश्यकतानुसार अन्य निविदाकार्त्ता से सफल निविदादाता द्वारा समर्पित निविदा दर (L1 दर) पर सामग्री की आपूर्ति ली जा सकती है।
21. यदि आपूर्तिकर्त्ता निविदा शर्त के किसी भी कंडिका के उल्लंघन अथवा आदेशित सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समय एवं मात्रा में नहीं करते हैं, तो उनके निविदा को रद्द करने तथा जमा प्रतिभूति राशि को राज्यसात करने एवं कृष्णचिन्हीत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
22. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्ति की गयी निम्न कोटि की अस्वीकृत सामग्री को आपूर्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्ति किये गये स्थान से तुरंत हटा लिया जायेगा। यदि आपूर्तिकर्त्ता उसे नहीं हटाते हैं तो वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पूर्णिया अथवा उनके प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा उसे हटवा दिया जायेगा और उसके हटवाने पर जो खर्च होगा उसे आपूर्तिकर्त्ता से वसूल किया जयेगा। आपूर्तिकर्त्ता को इस कार्य से होने वाली क्षति की जिम्मेवारी विभाग पर नहीं होगी।
23. सामग्रियों की आपूर्ति की गुणवत्ता एवं मात्रा के संबंध में किसी प्रकार के विवाद का निर्णय समिति द्वारा किया जायेगा। जिसके सदस्य वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा निर्धारित पदाधिकारी एवं

संबंधित वनों के क्षेत्र पदाधिकारी रहेंगे। समिति द्वारा लिया गया निर्णय यदि आपूर्तिकर्त्ता को मान्य नही होगा तो वैसी स्थिति में अंतिम निर्णय वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा किया जायेगा।

24. सामग्री की आपूर्ति केवल निविदाकर्त्ता के द्वारा हीं की जायेगी।
25. निविदा प्रपत्र में निविदाकर्त्ता इस बात को प्रमाणित करेंगे कि उन्होंने निविदा के सभी शर्तों को पढ़ा/पढ़वाया और समझ लिया है। तथा वे निविदा की सभी शर्तों को स्वीकार करते हैं।
26. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पूर्णिया को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी भी या सभी निविदा को अस्वीकृत कर दें।
27. निविदा शर्त्त/प्रपत्र में निविदाकर्त्ता सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए सभी पृष्ठों पर अपना हस्ताक्षर करेंगें।
28. सरकार के निर्देश के अनुसार निविदा में भाग लेने हेतु आवेदक द्वारा चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना है।
29. किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र पूर्णिया होगा।

26/5/25

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पूर्णियाँ वन प्रमंडल, पूर्णियाँ।